आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 154/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2017-18

भगवान सिंह गौड म.नं. 56, नीमखेडी पोस्ट रूनाहा तहसील बेरसिया, भोपाल (मप्र)	बनाम	आयकर अधिकारी 4(3), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एकेडब्ल्यूपीजी 3055 बी PAN- AKWPG3055B		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं (लिखित निवेदन)
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	30.07.2024
उद्घोषणा तिथि	30.07.2024

आदेश

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.12.2023 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरूद्ध आ.अ.सं. 154/इंदौर/2024 भूलवश दाखिल की गई है । निर्धारिती द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध एक और अपील दाखिल की गई हे जो आ.अ.सं. 159/इंदौर/2024 के रूप में पंजीकृत की गई है । अतः निर्धारिती आ.अ.सं. 154/इंदौर/2024 पर दबाव नहीं

डालना चाहता तथा वह आ.अ.सं. 159/इंदौर/2024 को pursue करना चाहता है । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से आ.अ.सं. 154/इंदौर/2024 को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है ।

4. तदनुसार, हम आ.अ.सं. 154/इंदौर/2024 में अपील जो आ.अ.सं. 159/इंदौर/2024 की duplicate appeal है को निर्धारिती द्वारा दबाव नहीं डालने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, आ.अ.सं. 154/इंदौर/2024 में निर्धारिती की अपील दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 30.07.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(विजय पाल राव)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 30.07.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल